अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

उनवान

उदा पिता श्रीराम गुर्जर नि. तोलास का खेड़ा .... बनाम .... बाबू पिता श्रीराम गुर्जर निवासी तोलास का खेड़ा

किस्म मुकदमा धारा 212 .... मु0न0 10 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17/1/19	पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी /प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 ....के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 13/3/19 ....को पेश हो। सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर	
13/3/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी सं० 1 से 6 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अन्तरिम स्थगन जारी करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम स्थगन जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः ग्राम आशोरिया तहसील रायपुर में प्रार्थी एवं विपक्षी सं० 1 लगायत 6 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी सं० 562 रकबा 0.30हे. 564/2 रकबा 0.23हे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.53हे. भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की ... में जारी हु...

कार्य न तो स्वयं करे न अन्य से करावे
व अन्य तरीके से हस्तक्षेप नहीं
करे तथा राजस्व रेकार्ड की यथा
स्थिति बनाये रखने की अस्थाई
निषेधाज्ञा विरुद्ध विपक्षीगण तां फैसला मूल
वाद तक जारी की जाती है। उक्त
पत्रावली मूल पत्रावली सं0 7/19 के
साथ संलग्न की जावे। बाद इन्द्राज
पत्रावली निर्णित शुमार देकर नम्बर से
कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)